संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व
रायपुर–छत्तीसगढ़

दूरभाष : 0771–2537404, टेलीफैक्स 0771–2234731
ई–मेल : deptt_culture@yahoo.co.in वेब साइट : www.cgculture.in

क्रमांक/4034/ /मुक्तां/स.पु./ 2020 रायपुर, दिनांक 29/10/2020

पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय परिसर में कैंटीन संचालन कार्य हेतु
रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना

पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय परिसर में कैंटीन संचालन कार्य हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुबंधित करने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक सेवाप्रदाता संस्था/समूह रूचि की अभिव्यक्ति प्रपत्र कार्यालयीन समय में संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, रायपुर मे रू. 500/– नगद (जो वापसी योग्य नहीं है) जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी कार्यालय संचालनालय, संस्कृति एवं पुरातत्व, रायपुर के वेबसाईट www.cgculture.in में भी देखा जा सकता है। रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने हेतु अंतिम तिथि तक सीलबंद रूचि की अभिव्यक्ति केवल रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर को प्रेषित करना होगा। रूचि की अभिव्यक्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा संशोधन होने पर जानकारी उक्त वेबसाईट में प्रदर्शित की जायेगी। संशोधन सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

ई.ओ.आई. प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि	दिनांक 19.11.2020 समय शाम 5.00 बजे तक
ई.ओ.आई. जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 28.11.2020 समय शाम 5.00 बजे तक
ई.ओ.आई. का तकनीकी प्रस्ताव खोलने की तिथि	दिनांक 01.12.2020 समय दोपहर 02.00 बजे
ई.ओ.आई. का वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि	दिनांक 02.12.2020 समय दोपहर 02.00 बजे

संचालक
संस्कृति एवं पुरातत्व,
रायपुर (छ.ग.)

पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय परिसर में कैंटीन संचालन कार्य हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण

//प्रपत्र//

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रूपये 500/–
अमानत राशि	रूपये 15,000/– (डी.डी./एफ.डी.आर.)
ई.ओ.आई. प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि	दिनांक 19.11.2020 समय शाम 5.00 बजे तक
ई.ओ.आई. जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 28.11.2020 समय शाम 5.00 बजे तक
ई.ओ.आई. का तकनीकी प्रस्ताव खोलने की तिथि	दिनांक 01.12.2020 समय दोपहर 02.00 बजे
ई.ओ.आई. का वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि	दिनांक 02.12.2020 समय दोपहर 02.00 बजे

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व

छत्तीसगढ़, रायपुर

फैक्स: 0771-2234731, दूरभाष: 0771-2537404,

ई-मेल: deptt_culture@yahoo.co.in, deptt.culture@gmail.com, website: www.cgculture.in

डिसक्लेमर

1. प्रस्तुत दस्तावेजों में जो जानकारी दी गयी है वह रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों की सुविधा और जानकारी मात्र के लिए है।
2. दस्तावेजों को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गयी है तथापि, यह रूचि की अभिव्यक्ति भरने वाले व्यक्ति का दायित्व है कि वह जानकारियों के संबंध में स्वयं सत्यापन कर पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त कर लेवे। यदि दस्तावेजों में वर्णित जानकारी या शर्तों में कोई कमी या विरोधाभास प्रतीत हो रहा हो तो उसे रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने की अंतिम तिथि के दो दिन पूर्व संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व को लिखित सूचना के द्वारा जानकारी प्रदान की जाये, अन्यथा यह माना जायेगा कि रूचि की अभिव्यक्ति भरने वाले फर्म/व्यक्ति द्वारा दस्तावेजों के पर्याप्त एंव पूर्ण होने के संबंध में संतुष्ट है।
3. रूचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज अनुबंध नहीं है और न ही कोई ऑफर है। ये दस्तावेज रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रस्ताव तैयार करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किये गये हैं। ये दस्तावेज प्रत्येक भाग लेने वाले फर्म/व्यक्तियों के उद्देश्य और आवश्यकताओं के अनुरूप एवं उपयुक्त हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अतः रूचि की अभिव्यक्ति भरने वाले फर्म/व्यक्ति से अपेक्षा है कि समस्त जानकारियों के संबंध में स्वतंत्र रूप से सत्यापन एवं परामर्श प्राप्त करने के उपरांत रूचि की अभिव्यक्ति भरें।
4. रूचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज में किसी प्रकार की त्रुटि, कमी, चूक आदि के लिए कार्यालय संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व या उनके अधिकारी, कर्मचारी किसी प्रकार के उत्तरदायी नहीं होंगे और इन कारणों से विधि के प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रकार की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
5. रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर इस आमंत्रण के अंतर्गत प्राप्त रूचि की अभिव्यक्ति में से किसी को स्वीकृत करने के लिए बाध्य है।
6. किसी रूचि की अभिव्यक्ति या सभी रूचि की अभिव्यक्ति को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व के पास सुरक्षित है।
7. संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा विभागीय वेबसाईट **www.cgculture.in** में सूचना प्रकाशित करते हुए, आवश्यक होने पर रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जा सकता है, रूचि की अभिव्यक्ति सूचना की शर्तों में संशोधन, रूचि की अभिव्यक्ति दस्तावेजों में परिवर्तन या रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण पूर्णतः निरस्त किया जा सकता है। उक्ताशय की सूचना समाचार पत्रों में विज्ञापित नहीं की जायेगी, यह जानकारी उक्त विभागीय वेबसाईट में अपलोड की जाएगी जिसे डाउनलोड कर उपयोग किया जा सकता है।

संचालक
संस्कृति एवं पुरातत्व

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व
छत्तीसगढ़, रायपुर

रूचि की अभिव्यक्ति के तहत नियम व शर्तें तथा आवश्यक निर्देश

1. रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने हेतु विभाग द्वारा जारी रूचि की अभिव्यक्ति प्रपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। रूचि की अभिव्यक्ति प्रपत्र निर्धारित तिथि तक कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर कार्यालय में राशि रू. 500/– नगद जमा कर (जो वापसी योग्य नहीं है) प्राप्त किया जा सकता है।
2. निविदा में भाग लेने हेतु निर्धारित अमानत राशि रू. 15,000/–(रू. पन्द्रह हजार) का एफ.डी.आर./डी.डी. (राष्ट्रीयकृत बैंक से) संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर के नाम से बनाकर प्रपत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। असफल बोलीदार की अमानत राशि वापस कर दी जाएगी।
3. सेवाप्रदाता संस्था/समूह का कैंटीन संचालन कार्य का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है तथा संस्था का पंजीयन वर्ष 2010 के पहले का होना चाहिए।
4. सेवाप्रदाता संस्था/समूह का खाद्य और औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा जारी फूड लायसेंस होना अनिवार्य है।
5. सेवाप्रदाता संस्था/समूह के पास कैंटीन संचालन कार्य क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा इस हेतु किसी भी शासकीय संस्था के वर्क आर्डर/कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। शासकीय संस्था में कार्यरत या अनुभव वाले को प्राथमिकता दी जावेगी।
6. सेवाप्रदाता संस्था/समूह का पैनकार्ड, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है जिसकी छायाप्रति तथा विगत तीन वर्ष (2017–18, 2018–19, 2019–20) का आयकर विवरण (जिसका चार्टडेट एकाउण्टेट का सत्यापन प्रमाण पत्र हो) प्रस्तुत करना होगा।
7. सेवाप्रदाता संस्था/समूह द्वारा अधिकृत व्यक्ति का आधार कार्ड, बैंक डिटेल/साल्वेंसी विवरण इत्यादि की छायाप्रति प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
8. रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने वाले सेवाप्रदाता संस्था/समूह को न्यूनतम 50/– का नान न्युडिशियन स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
9. रूचि की अभिव्यक्ति तैयार करने एवं जमा करने का तरीकाः–

   निविदा दो– लिफाफा पद्धति के अंतर्गत होगी जो निम्नांकित हैः–

   (i) लिफाफा–'ए':– इस लिफाफे में सेवाप्रदाता संस्था/व्यक्ति के कार्य का (1)जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (2)टर्न ओवर (3)अनुभव प्रमाण पत्र (4)पेन कार्ड (5)जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (6)सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (7)अमानत राशि (8)फार्म की रसीद आदि एवं निर्धारित तकनीकी प्रस्ताव जो रूचि की अभिव्यक्ति प्रपत्र के साथ संलग्न है, भरकर जमा करना अनिवार्य होगा। लिफाफा मुहरबंद कर उसके ऊपर **पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय परिसर में कैंटीन संचालन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति– "लिफाफा–ए"** तथा नीचे सेवाप्रदाता संस्था/व्यक्ति का नाम एवं पता लिखा जाना अवश्यक होगा।

   (ii) लिफाफा–'बी':– इस लिफाफे में सेवाप्रदाता संस्था/समूह द्वारा दरें निर्धारित प्रपत्र जो रूचि की अभिव्यक्ति प्रपत्र में संलग्न है, में भरी जायेंगी। दरें स्पष्ट अक्षरों में हाथ से या टंकित कर भरी जा सकती है। अंको एवं शब्दों में भरे गये दरें भिन्नता या कांट–छांट

में कोई विरोधाभास पाया जायेगा तो अधिकतम दरों को विचार में लिया जायेगा। लिफाफा बंद कर उसके ऊपर **पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय परिसर में कैंटीन संचालन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति– "लिफाफा–बी"** तथा नीचे सेवाप्रदाता संस्था/समूह का नाम एवं पता लिखा जाना अवश्यक होगा।

(iii) उपरोक्त दोनों लिफाफे अर्थात् लिफाफा–'ए' तथा लिफाफा–'बी' एक बड़े लिफाफे में बंद कर नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर लिखकर रूचि की अभिव्यक्ति की निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पूर्व संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर, रायपुर के नाम से केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित करना होगा। सीलबंद कर लिफाफे के ऊपर **"पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय परिसर में कैंटीन संचालन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति"** लिखना आवश्यक होगा। विलंब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. सेवाप्रदाता संस्था/समूह का चयन मासिक अधिकतम राशि जमा करने के आधार पर तय की जावेगी।
11. रूचि की अभिव्यक्ति में चयनित सेवाप्रदाता संस्था/समूह को कार्यादेश के पूर्व न्यूतम रू. 50/–के नानजूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा। समस्त औपचारिकता पूर्ण करने पर कार्यदेश दिया जावेगा।
12. रूचि की अभिव्यक्ति के तहत नियम एवं शर्तों के अनुरूप तकनीकी प्रस्ताव में सफल होने वाले निविदाकार का ही वित्तीय प्रस्ताव खोला जावेगा।
13. सफल सेवाप्रदाता संस्था/समूह को कैंटीन संचालन हेतु अनुबंध निष्पादित होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिये वैधता मान्य होगी। इसके उपरांत परस्पर उभय पक्षों की सहमति से गुणवत्ता, स्वच्छता एवं प्रबंधन के निष्पादन के आधार पर दो वर्ष तक अधिकतम वृद्धि की जा सकती है। आंशिक अथवा पूर्ण अवधि के लिये वैधता विस्तारित करने का अधिकार संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर का होगा। प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।
14. संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व को बिना कारण बताये रूचि की अभिव्यक्ति निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
15. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अंतिम निर्णय संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर का होगा जो दोनो पक्षों को मान्य होगा, विवाद होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर होगा।

संचालक
संस्कृति एवं पुरातत्व

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व
छत्तीसगढ़, रायपुर

कैंटीन के संचालन हेतु नियम व शर्तें

1. रसोई का व्यय, परिवहन व्यय, रखरखाव आदि का व्यय सेवाप्रदाता संस्था/व्यक्ति द्वारा किया जावेगा।
2. सेवाप्रदाता संस्था/समूह द्वारा रसोई की सभी सामग्रियां मानक क्वालिटी का होना चाहिए जिसे प्रति तीन माह में खाद्य विभाग से तैयार खाद्यान्न सामग्री को चेक कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. पुरखौती मुक्तांगन परिसर में बने हुए कैंटीन भवन निविदा प्राप्त सेवाप्रदाता संस्था /समूह को संचालन हेतु भवन जिस स्थिति में है उसी स्थिति में प्रदाय की जावेगी।
4. कैंटीन से निकलने वाले सभी तरह के अपशिष्टों का निष्पादन सेवाप्रदाता फर्म द्वारा किया जाना होगा तथा कैंटीन एवं परिसर के आसपास स्वच्छता रखने का उत्तरदायित्व भी होगा।
5. कार्य के दौरान स्थल में प्रदर्शित प्रादर्श, भवन, विद्युत व अन्य सामग्री की क्षति/नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित सेवाप्रदाता संस्था/समूह (सफल निविदाकार) की होगी।
6. जल एवं विद्युत व्यवस्था हेतु होने वाले व्यय का वहन सेवाप्रदाता संस्था/समूह द्वारा किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का परिवर्तन, विस्तार के लिए विभाग से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा।
7. सेवाप्रदाता संस्था/समूह को खाद्य एवं पेय पदार्थों की निर्धारित दर एवं मात्रा को सूचनापटल में निर्धारित प्रारूप में चस्पा किया जाना आवश्यक होगा।
8. सेवाप्रदाता संस्था/समूह द्वारा अपने ग्राहकों के मांगे जाने पर नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रिंटेड बिल/रिसिप्ट प्रदान करना होगा।
9. कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेवाप्रदाता संस्था/समूह की होगी। कैंटीन परिसर में निषिद्ध वस्तुओं का उपयोग सर्वथा वर्जित होगा तथा बालश्रमिक कार्य पर नही रखे जावेंगे। इस हेतु सुरक्षा के समस्त आवश्यक उपाय तथा कैंटीन के स्मूथ संचालन हेतु सफल सेवाप्रदाता संस्था/समूह द्वारा किये जायेंगे।
10. कैंटीन भवन में समय–समय पर होने वाले मरम्मत, पेंटिंग एवं आवश्यक रिपेयरिंग का कार्य संबंधित सेवाप्रदाता संस्था/समूह को कराना होगा।
11. कैंटीन भवन के आस–पास की खाली जगह व पार्क का उपयोग करने पर उसके रखरखाव का दायित्व भी संस्था/समूह का होगा।

संचालक
संस्कृति एवं पुरातत्व

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व
छत्तीसगढ़, रायपुर

तकनीकी प्रपत्र

1. सेवाप्रदाता संस्था/समूह का नाम एवं पूर्ण पताः–..

....

....

2. प्रपत्र की जमा शुल्क रसीद का विवरणः–..

3. कार्य का नामः– पुरखौती मुक्तांगन में कैंटीन संचालन का कार्य।

4. अमानत राशि :– रू 15,000/–(रू. पन्द्रह हजार) मात्र

   (डी.डी./एफ.डी.आर) संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर के नाम पर

5. कार्य की अवधि/तिथिः– अनुबंध निष्पादित होने की तिथि से पांच वर्ष।

6. आयकर विभाग द्वारा आबंटित पेन कार्ड की छायाप्रतिः–..

7. निविदा जमा करने वाले व्यक्ति के आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रतिः–...

8. विगत वर्षों का कैंटीन संचालन का अनुभव प्रमाण पत्रः– ....

....

10. जी.एस.टी. नम्बर का जीवित प्रमाण पत्रः– ....

11. संस्था/समूह का कैटीन संचालन का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्रः– ....

12. खाद्य और औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा जारी फूड लायसेंसः– ....

13. संस्था/समूह का विगत तीन वर्ष (2017–18, 2018–19, 2019–20) का आयकर विवरण (जिसका चार्टडेट एकाउण्टेट का सत्यापन प्रमाण पत्र हो):– ....

....

....

14. निविदा जमा करने वाले संस्था/समूह को न्यूनतम 50/– का नान न्युडिशियन स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्रः– ....

....

दिनांकः–......................

स्थल :–......................

(संस्था/समूह का हस्ताक्षर एंव सील)

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व
छत्तीसगढ़, रायपुर
वित्तीय प्रपत्र

1. सेवाप्रदाता संस्था/समूह का नाम एवं पूर्ण पताः–..
....
....
....
....

2. विभाग को प्रति माह दी जाने वाली राशि रू. (अंको में)..

   (शब्दों में)..

   (उक्त राशि सफल निविदाकार को प्रतिमाह विभाग के कैश शाखा में जमा करना होगा)

3. कैंटीन संचालन कार्य अनुबंध निष्पादित होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए होगा। इसे दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्ष द्वारा 01 माह के पूर्व सूचना पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

4. रूचि की अभिव्यक्ति की नियम एवं शर्तें संलग्न।

दिनांक :–.....................

स्थल :–......................

(संस्था/समूह का हस्ताक्षर एंव सील)